इंटरनेट पर प्रतिबंध पर सुप्रीम कोर्ट का फैसले और पत्रकारों के लिय उसके मायने पर वकील मिशी चौधरी का क्या कहना है?

कुणाल मजूमदार/ सीपीजे भारतीय संवाददाता

10 जनवरी, 2020 को श्रीनगर की एक सड़क पर गश्त लगता भारतीय सिपाही. जम्मू और कश्मीर में महीनों बंद रहने के बात कुछ जगहों पर इंटरनेट सेवाएँ शुरू हुई हैं. हालांकि, प्रैस की आज़ादी को लेकर राज्य में चिंता बनी हुई है. (रॉयटर्स/दनिश इस्माइल)

ख़बरों के अनुसार, 14 जनवरी को जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने कुछ ज़िलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को दोबारा शुरू कर दिया. सी.पी.जे. की ख़बर के अनुसार, अगस्त 2019 में भारतीय सरकार ने जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटाया था. इस फैसले के बाद ही प्रशासन ने राज्य में पूरी तरह से संचार पर प्रतिबंध लगा दिया था. जम्मू और कश्मीर राज्य प्रशासन सीधा भारत सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है. इन प्रतिबंधों में छूट सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गए 10 जनवरी के फैसले के बाद दी गयी. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि, “इस तरह के प्रतिबंध आनुपातिक होने चाहिएँ और उनकी अदालती समीक्षा हो सकती है. इसके अलावा, सरकार को प्रतिबंधों कि हर हफ़्ते समीक्षा कर उसे सार्वजनिक करना चाहिए.”

द वाइर कि एक रिपोर्ट के अनुसार, फ़िलहाल मोबाइल द्वारा केवल ज़रूरी सेवाएँ जैसे कि, बैंक और सरकारी वेबसाइट्स को देखा जा सकता है. यह छूट भी केवल जम्मू के कुछ ज़िलों में दी गयी गई है. 16 जनवरी तक कश्मीर में ऐसी कोई भी राहत नहीं दी गयी थी. स्क्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार, कश्मीर में ब्रॉडबैंड सेवाएँ केवल बड़े संस्थानों तक सीमित हैं. सी.पी.जे. से बात करते समय कई पत्रकारों ने बताया कि पिछले 5 महीनों से लगी इंटरनेट पर रोक से उनके काम पर बुरा प्रभाव पड़ा है. इन्ही पत्रकारों में से एक, कश्मीर टाइम्स कि संपादक अनुराधा भसीन हैं, जिनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट प्रतिबंध पर फैसला सुनाया था.

तीन जजों के बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए अभिव्यक्ति कि आज़ादी पर टिप्पणी की और कहा कि, “इंटरनेट सेवा का उपयोग करते हुए अपना काम करना एक संवैधानिक अधिकार है”. एक स्थानीय इंटरनेट की आज़ादी पर काम करने वाली संस्थान के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में सरकार को इंटरनेट पर लगे प्रतिबंध को हटाने या फिर पत्रकारों को यह सेवा मुहइया करने को ले कर कुछ नहीं कहा.

सी.पी.जे. ने वकील मिशी चौधरी से कोर्ट के इस फैसले और प्रैस की आज़ादी पर बात की. मिशी भारत और अमरीका में काम करती हैं और ‘सोफ़्टवेयर फ़्रीडम लॉ सेंटर इंडिया’ नामक संस्थान की संचालक हैं.

इस इंटरव्यू को संक्षेप में लिखा गया है.

14 जनवरी को जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवा पर कुछ छूट दी. क्या आप इसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर मानती हैं?

जी हाँ, यह अच्छी बात है की इंटरनेट पर प्रतिबंध के फैसलों की समीक्षा होगी. उस नज़रिये से कोर्ट के फैसले का राज्य में हालात पर सीधा असर हुआ है.

हालांकि यह कम और अस्थाई राहत है. केवल जम्मू के कुछ इलाकों में कम स्पीड की 2जी इंटरनेट सेवाएँ केवल पोस्ट-पेड नंबरों पर चल रही हैं. इन इलाकों में भी आप केवल बैंक या फिर सरकारी वेबसाइट्स देख सकते हैं. सोशल मीडिया पर अभी भी प्रतिबंध है.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपकी क्या राय है?

इस फैसले में कुछ अच्छी और कुछ बुरी बातें हैं. एक वकील के तौर पर मैं इस फैसले में अगले मुकदमे में इस्तेमाल किए जाने वाली जानकारियों को देखती हूँ. उस नज़रिये से कोर्ट ने पारदर्शिता के बारे में कहा है और यह बताया है कि कोई भी मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध आनुपातिक होना चाहिए. सरकार अपनी मनमरज़ी से इंटरनेट पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लगा सकती है. और बार-बार ऐसा करना उचित नहीं है. यह एक बहुत अच्छा संकेत है.

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि इंटरनेट सेवा एक मौलिक अधिकार है जैसा की केरल हाइ कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था. कोर्ट केवल उसके सामने पेश किए गए मुद्दे पर फैसला सुना सकता है, और मौलिक अधिकार वाली बात इस मामले में नहीं उठाई गयी थी. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को दूसरे तरीके से कहा जब बेंच ने यह बताया कि, इंटरनेट सेवा का उपयोग करते हुए अभिव्यक्ति कि आज़ादी और कारोबार करना संवैधानिक अधिकार है. इसका यह मतलब है कि, इन अधिकारों पर रोक संविधान के दायरे के अंदर ही होनी चाहिए.

फैसले में साफ़ कहा गया है कि, अनिश्चित काल के लिए इंटरनेट पर रोक नहीं लगाई जा सकती है. यह कुछ राहत कि बात है. हालांकि, टेलीकॉम सेवाओं पर प्रतिबंध कि संवैधानिकता को लेकर कोई बहस नहीं हुई. ज़्यादातर इंटरनेट प्रतिबंध धारा 144 के अंतर्गत आते हैं जिसका इस्तेमाल कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया जाता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, इस धारा का इतनी बार इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए कि यह कानून का दुरुपयोग लगने लगे. कोर्ट ने कहा है कि, हर बार इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने पर सरकार को कोर्ट में बताना होगा कि यह कानून का दुरुपयोग नहीं है. इससे यह पता चलता है कि ख़तरे को टालने के लिए कुछ समय का इंटरनेट प्रतिबंध लगया गया है.

प्रैस कि आज़ादी पर इस फैसले में क्या कहा गया है?

भारतीय संविधान में प्रैस कि आज़ादी को एक अलग अधिकार कि तरह नहीं लिखा गया है. प्रैस कि आज़ादी पर अभिव्यक्ति कि आज़ादी कि तरह ही प्रतिबंध लग सकते हैं. कोर्ट के फैसले में कहा गया कि, "पत्रकारों पर अनिश्चित काल तक ख़तरे कि तलवार नहीं लटकाई जा सकती है. उन्हें अपना काम करने के लिए समायोजित करना चाहिए."

हालांकि, इस फैसले पर जश्न मनाया जा रहा है पर मेरे लिए इसे समझना थोड़ा मुश्किल है. 'समायोजित' से कोर्ट का क्या मतलब है? वहीं, कोर्ट का क्या मतलब है जब वह 'अनिश्चितकाल' कहते हैं? फिर कोर्ट ने यह कहा कि क्योंकि याचिकाकरता ने पब्लिकेशन दोबारा शुरू कर दी है तो "हमारे अनुसार इस मामले में और कुछ कहना उचित नहीं है, और ज़िम्मेदार सरकारों को प्रैस कि आज़ादी का हर समया आदर करना चाहिए.".

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनने में 5 महीने लगा दिये. क्या आपको लगता है निचली अदालतें ऐसे मामलों में सही समय पर फैसला सुना सकती हैं?

तकनीक जिस गति से बादल रही है, किसी के लिए भी उसके साथ चलना मुश्किल है, फिर न्यायधीशों के बारे में सोचिए जिन्हें सभी मामलों में फैसले सुनाने होते हैं.

मैं भारत कि सर्वोच्च अदालत में कई समय से मुकदमे लड़ रही हूँ. तकनीक से जुड़ा हुआ ऐसा कोई भी मामला नहीं हैं जिसमें मेरी संस्था का दखल नहीं है. कुछ जज ऐसे मामलों में काफ़ी रूचि दिखते हैं, पर सब नहीं. और यह कानूनी लड़ाई के लिए बहुत महंगी जगह है. जो भी इतना पैसा लगा कर ऐसे मामले को कोर्ट में लाएगा वह ज़ाहिर है, अच्छे वकीलों के साथ आएगा. निचली अदालतों के मुक़ाबले यहाँ बेहतर तरीके से मामले पर सुनवाई हो सकती है.

उधारण के लिए, नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ़ हो रहे प्रदर्शनों के दौरान, नई दिल्ली में पहली बार इंटरनेट पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया. इसके लिए आदेश दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के डेप्युटी कमिश्नर द्वारा दिया जाता है. हमने इसे दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी. हमने इसकी संवैधानिकता पर तो सवाल भी नहीं उठाए. हमने केवल यह कहा कि, टेलीकॉम सस्पेंशन नीयमों के अनुसार डी.सी.पी. को यह करने का अधिकार नहीं है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने हमारी याचिका ख़ारिज कर दी क्योंकि सरकार ने यह कहा कि इस फैसले में कोई भी प्रक्रियात्मक चूक नहीं हुई है. और, फोन सेवाएँ केवल चार घंटों के लिए बंद की गईं थी. सरकार ने कहा कि, अगर किसी व्यक्ति को इससे परेशानी हुई है तो वह ख़ुद एक याचिका दायर कर सकते हैं. एक वकील के तौर पर अगर सरकार कोर्ट में कहती है कि उसने जो किया है वह ठीक है, तो कोर्ट सरकार की बात को निसंदेह मान लेगी. और इस फैसले से परेशान हर व्यक्ति से अदालत आने कि उम्मीद कि जाएगी.

मेरे हिसाब से इस फैसले पर जश्न मनाने कि ज़रूरत नहीं है. मैं इस फैसले को अदालत में इस्तेमाल नहीं करूंगी. मैं यह कह सकती हूँ कि प्रतिबंध अनिश्चितकाल के लिए नहीं होना चाहिए लेकिन दूसरा पक्ष कह कह सकता है कि प्रतिबंध अनिश्चितकाल के लिए नहीं है. इस फैसले को दोनों तरह से पढ़ा जा सकता है.

[**संपादक बिन्दु**: 19 दिसंबर को दिल्ली में इंटरनेट और एसएमएस सेवाएँ चार घंटों के लिए बंद कि गईं थीं. रॉयटर्स और मेडियानामा के अनुसार, यह प्रतिबंध नागरिकता संशोधन क़ानून के खिलाफ़ प्रदर्शनों के दौरान लगाया गया था. इस क़ानून को मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध बताया जा रहा है.]